कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विभाग के ध्यान में आया है कि विभाग के कुछ कार्मिक बिना अवकाश स्वीकृति के लम्बे समय से अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहते हैं, जो कि एक गम्भीर दुराचरण एवं अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है । इससे राजकीय कार्य समय पर सम्पन्न नहीं हो पाता एवं छात्र हित प्रभावित होता है । लम्बे समय से स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिकों के विरूद्ध यथासमय समुचित कार्यवाही अमल मे नहीं लाये जाने के कारण ये अनावश्यक रूप से विभाग में बने रहते हैं, जिससे अन्य कार्मिकों की पदोन्नति अवसर प्रभावित होते हैं ।

अतः इस कम में सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को पाबंद किया जाता हैं कि दिनांक–09.05.19 तक पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से आपके अधीन कार्यालयों/विद्यालयों में लम्बे समय से स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिको की सूचना संकलित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही प्रारंभ की जानी सुनिश्चित करावें । एक वर्ष से अधिक स्वैच्छा से अनुपस्थित कार्मिको के विरूद्ध वित्त विभाग की अधिसूचना कमांक– एफ. 1(4)एफ.डी./रूल्स/2006 जयपुर दिनांक– 12.01.2017 के अनुसार कार्यवाही प्रारंभ कर, की गई कार्यवाही का विवरण मय अभिलेख एवं कार्यालय की नोटशीट की प्रति सक्षम अधिकारी को समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें । जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त उक्त प्रकरणों की जॉच कर प्रकरण समुचित कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को प्रेषित करवाते हुए इसकी सूचना सम्बन्धित संयुक्त निदेशक को प्रेषित करावें ।

सम्बन्धित संयुक्त निदेशक अपने अधीनस्थ कार्यालयो से प्राप्त इस प्रकार के प्रकरणों की समेकित सूचना एवं की गई कार्यवाही का विवरण अंकित करवाते हुए लम्बे समय से अनुपस्थित कार्मिकों की सूचना निम्नांकित प्रपत्र में इस कार्यालय को दिनांक–20.05.19 तक भिजवाया जावें, साथ ही लम्बे समय से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहे कार्मिकों के विरूद्ध संबंधित संस्था प्रधान द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो ऐसे संस्था प्रधानों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव उक्त सूचना के साथ ही भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें :–

क्र0सं0	नाम कार्मिक	पद	पदस्थापन स्थान	अनुपस्थित अवधि	क्या कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।हॉ/नहीं	यदि नहीं तो क्या कारण है ?

(नथमल डिडेल)
आइ.ए.एस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/स्वै.अनुपस्थित/ 2019

दिनांक:– 24/04/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा राजस्थान
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) स्कूल शिक्षा राजस्थान
3. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. सिस्टम ऍनेलिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रसारित करने हेतु
5. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)